

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक- 706 / FP/UK/ROAD/14471/2015 देहरादून:दिनांक: 11 सितम्बर, 2018

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर मध्य-क्षेत्र)
25, सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:- जनपद-पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत बसोला-बगडियालगांव-समया मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.132 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

(ऑनलाईन फाईल संख्या- FP/UK/ROAD/14471/2015)

सन्दर्भ:-भारत सरकार की पत्र संख्या-8बी/यूसीपी/06/6/2016/एफ0सी0/914 दिनांक 06-09-2016

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बैजरो के पत्रांक 942/14सी0 दिनांक 28-08-2018 (प्रति संलग्न) के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन कर आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :-

1. शर्त संख्या-1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 6.264 हे० ग्राम-ढौण्ड सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु देय धनराशि रू० 14,42,612.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम-ढौण्ड सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन किया गया है। ग्राम ढौण्ड सिविल सोयम भूमि के म्यूटेशन किये गये अभिलेख संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। (संलग्नक-1)
2. शर्त संख्या-2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन०पी०वी० की देय धनराशि रू० 20,57,724.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है।
3. शर्त संख्या-3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित एन०पी०वी० की दरों में बढ़ोत्तरी होने पर बढ़ी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने की बचनबद्धता का प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-2)
4. शर्त संख्या-4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार जमा की गयी कुल धनराशि रू० 47,02,022.00 के रसीद की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-3)
5. शर्त संख्या-5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्माण कार्य के पश्चात जहाँ-जहाँ सम्भव हो परियोजना क्षेत्र के रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण हेतु धनराशि रू० 12,01,686.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। (संलग्नक-4)
6. शर्त संख्या-6 एवं 7 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी अवगत कराया गया है कि उक्त बिन्दुओं की सूचना ऑनलाईन अपलोड नहीं हो पा रही है। शेष बिन्दुओं की सूचना संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। सूचना अपलोड होने के पश्चात् बाद में प्रेषित कर दी जायेगी।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति/शासनादेश निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)

मुख्य वन संरक्षक

संख्या:- 706 / FP/UK/ROAD/14471/2015 दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बैजरो।

(मनोज चन्द्रन)

मुख्य वन संरक्षक